न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	57/25	2025/198	18/082025	ओमप्रकाश बनाम गेंदी व अन्य	29.04.2026	1 लगायत 5

1. ओमप्रकाश पुत्र सुखराम मीना निवासी सहजपुर तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर। – प्रार्थीगण

बनाम

1. गेंदी देवी पत्नि हरिराम जाति मीना निवासी सहजपुर ,पट्टीखुर्द बामनवास ।
2. रामसिंह पुत्र हरीराम जाति मीना निवासी सहजपुर ,पट्टीखुर्द बामनवास।
3. सुरेश पुत्र हरीराम जाति मीना निवासी सहजपुर, पट्टीखुर्द बामनवास।
4. तहसीलदार तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर। – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र ग्राम बामनवास पट्टीखुर्द में स्थित भूमि खसरा नम्बर 348 रकबा 0.27 है0 का अप्रार्थी सं0 1 की पति व अप्रार्थी सं0 2 लगायत 3 पिता हरिराम पुत्र तुलसीराम के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 13.06.1976 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, साथ ही प्रार्थीपक्ष ने उक्त आवंटन दिनांक 13.06.1974 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब कीगई। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित तथा अप्रार्थी सं0 4 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित एवं अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 151 सी0पी0सी0 एवं प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 151 सी0पी0सी0 पर दौराने बहस निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें कि प्रार्थी ओमप्रकाश ने प्रार्थना पत्र गत खसरा संख्या 348 हाल भूमि खसरा संख्या 2809 ग्राम बामनवास पट्टीखुर्द तहसील बामनवास का पेश किया है जिसका

[Type text]

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रकरण संख्या 57/25 है। अप्रार्थीगण ने साबिक खसरा संख्या 348 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा हाल खसरा संख्या 2809 रकबा 0.27. 2810 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से रकबा 07 हैक्टेयर ग्राम बामनवास पट्टीखुर्द तहसील बामनवास बावत इस्तकरारहक खातेदारी टीनेन्सी, दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी का माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर, बामनवास में पेश कर रखा है जिसका मुकदमा संख्या 101/22 है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जिससे अदालत को स्पष्ट हो जाता है कि पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर व डिस्पुटेड लैण्ड सेम है। ऐसी सूरत में समरी प्रोसेंडिग आवंटन चलने योग्य नहीं है। निरस्त फरमाए जाने योग्य है क्यों कि पक्षकारान के हक हकूक एक रेगूलर वाद में गवाह सबूत होकर ऑन मैरिट तय होने है। समरी प्रोसेंडिग में किसी के हक अधिकार तय नहीं होते है। फिजीकल प्रॉसेडिग है जो किसी को राईट एवं टाईटल नहीं देता है। ऐसी सूरत में आवंटन निरस्ती की कार्यवाही को तातस्फीया दावा स्थगित फरमाया जाना आवश्यक है, साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सी0पी0सी0 पर दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर तथा प्रकरण को बिलम्ब करने हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण अर्न्तगत धारा 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रार्थी के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते है, साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सी0पी0सी निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सी0पी0सी पर सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी पक्ष द्वारा एक दावा इस्तकरारहक खातेदारी टीनेन्सी , दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त दावें में प्रार्थीगण रामसिंह , सुरेश गेंदी द्वारा आराजी साबिक खसरा नम्बर 348 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा किस्म भूमि नहरी 1 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2809 रकबा 0.27 है0 की किस्म गै0मु0रास्ता की जगह नहरी 1 व हाल खसरा नम्बर 2810 रकबा 0.22 है0 में से रकबा 0.07 है0 कम किया जाकर वादीगण की खातेदारी दर्ज करने हेतु अनुतोष चाहा गया है। वर्तमान खसरा नम्बर 2809 के संबंध में खातेदारी अधिकार तय संबंधित कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, ऐसी स्थिती में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

सी0पी0सी0 स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी निरस्त की जाती है तथा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस अनुरोध किया कि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 की खातेदारी में खं0नं0 2809 रकबा 0.27 है0 गै0मु0रास्ता वाके ग्राम बामनवास पट्टीखुर्द दर्ज है। इन्होने इस भूमि के बाबत् मुकदमा उप जिला कलेक्टर बामनवास के यहां प्रार्थी के खिलाफ पेश कर बताया है कि यह भूमि गत खं0नं0 348 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा उनके पिता हरीराम पुत्र तुलसीराम को सन 1976 में आवंटित हुयी थी और अब भूमि हरीराम के मरने के बाद हम उनके वारिसान के नाम दर्ज हो गयी हैं। इस पर प्रार्थी ने आवंटन के बाबत पत्रावली की नकल निकलवाई, तब आवंटन का पता लगा हैं कि आवंटन दि० 13–6–76 को कैम्प बामनवास पर हुआ हैं।भूमि मौके पर रास्ता हैं रास्ते के काम आती है रास्ते की भूमि आवंटन योग्य नहीं होती है। गत ख0नं0 348 का एक हाल ख0नं0 2809 बना है यह बात मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट ज्ञात होती है। हरीराम मर चुका है, गैरसायला सं01 उसकी पत्नि तथा गैरसायल सं० 2 व 3 उसके पुत्र हैं। हरीराम ने आवंटन तथ्य छुपाकर कराया था उसने भूमि ख0नं0 348 के उस हिस्से पर कभी काश्त नहीं की जो कि रास्ते के रूप में रही हैं व अब उसका खसरा नम्बर 2809 रकबा 0.27 हेक्टर है इसलिये आवंटन को निरस्त किये जाने योग्य है। भूमि ख0नं0 348 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा का एक भाग रास्ता के रूप में काम आता रहा था। अब भी इस भूमि गत ख0नं0 348 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा का बना एक नम्बर 2809 रकबा 0.27 हेक्टर रास्ता हैं तथा पहले आवंटन के समय भी रास्ता था परन्तु इस तथ्य को छुपा कर आवंटन करवाया गया जो मिसरिप्रेजेन्टेशन फ्रोड की तारीफ में आता हैं इसलिये आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं। गत ख0नं0 348 व उसके बने हाल ख०नं0 2809 रकबा 0.27 हेक्टर पर कभी काश्त नही रही, इसलिये आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। इसलिये भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं।हरीराम भूमिहीन कृषक भी नहीं था फिर भी उसने गलत तथ्य बताकर आवंटन करवा लिया। इसलिये भी आवंटन ख0नं0 348 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा काबिल खारिज हैं। माननीय न्यायालय को अधिकार है कि फाड मिसरिप्रजेन्टेशन से व नियम विरूद्ध रूप से हुये आवंटन को किसी समय निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है, साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता ने भूमि ख0नं0 348 ग्राम पट्टीखुर्द का दि० 13–6–76 को हरीराम पुत्र तुलसीराम के हक में एडवाईजरी कमेटी द्वारा किया गया आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवंटन के समय वाद आरजीयात की भूमि की किस्म नहरी दोयम थी। भू–प्रबन्ध के समय वाद

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

आराजीयात की भूमि की किस्म नहरी दोयम से गै0मु0रास्ता कर दी गई। जबकि सेटलमेन्ट विभाग को किस्म परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद निरस्त करने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है, साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली एवं अदालत मातहत की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। प्रार्थी पक्ष द्वारा विवादित आवंटन निरस्त करने हेतु निम्न तथ्य न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किए :-

1. उक्त वाद आराजीयात गत खं0नं0 348 व वर्तमान खं0नं0 2809 मौके पर रास्ता है रास्ते के काम में आती है तथा रास्ते की भूमि आवंटन योग्य नहीं है। उक्त क्रम में अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट , सिफारिश भूमि आवंटन सलाहकार समिति तथा आवंटन आदेश में उक्त भूमि की किस्म नहरी दोयम अंकित है।
2. आवंटी द्वारा आवंटन तथ्य छुपाकर कराया था। प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, राजस्व अभिलेख ,जमाबन्दी इत्यादि प्रस्तुत नहीं की है ,जिससे यह सिद्ध हो सके कि आवंटी द्वारा आवंटन तथ्यों को छुपाकर करवाया गया हो।
3. खं0नं0 348 पर आवंटी के हिस्से पर कभी काश्त नहीं हुई है। उक्त क्रम में भी प्रार्थी पक्ष द्वारा किसी भी वर्ष की खसरा गिरदावरी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे सिद्ध हो सके की आवंटी द्वारा वाद आराजीयात पर काश्त नहीं की गई हो।
4. गत खं0नं0 348 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा का बना एक नम्बर 2809 रकबा 0.27 है0 रास्ता है तथा पहले आवंटन के समय भी रास्ता था परन्तु इस तथ्य को छुपाकर आवंटन करवाया गया जो मिसरिप्रेजेन्टेशन फ्रोड की तारीफ में आता है। अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट , सिफारिश भूमि आवंटन सलाहकार समिति तथा आवंटन आदेश में उक्त भूमि की किस्म नहरी दोयम अंकित है।
5. उक्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति के पूर्ण कोरम की सिफारिश पर किया गया है।
6. खं0नं0 348 में हुए आवंटन के किस प्रकार आवंटन नियमों के विरूद्ध है इसका भार अपीलान्ट पर है, लेकिन अपीलार्थी खं0नं0 348 में हुआ आवंटन नियम विरूद्ध

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

है, यह सिद्ध करने में असफल रहे है। ना ही अपीलार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य एवं राजकीय दस्तावेज/राजकीय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है,जिससे साबित हो सके कि ख0नं0 348 में हुआ आंवटन त्रुटिपूर्ण हो। ऐसी स्थिती में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील विधि द्वारा अपोषणीय होने से प्रकरण में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य ही प्रतीत नहीं होता है।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला क
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner